O/o CE (EITC)
Receipt No. 1552
Date 23 MAR 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE.. (web)
Section

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपकम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)
CIN – U40108CT2003SGC015822

CSPDCL **कार्यालय– कार्यपालक निदेशक(मा.सं.)**

कमांक 02–11/I/(v)/स्था./ 3236 रायपुर, दिनांक 22 MAR 2016

आदेश

कनिष्ठ शीघ्रलेखक (हिन्दी) के पद पर निश्चित वेतन रूपये 11,875/– (रूपये ग्यारह हजार आठ सौ पछत्तर मात्र) प्रतिमाह पर अधोलिखित उम्मीदवारों को आदेश में निहित नियम एवं शर्तों के तहत उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालयों में उपस्थिति दिनांक से संविदा आधार पर प्रारम्भिक तौर पर दो वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है:–

क्रं.	नाम एवं पिता/पति का नाम सर्वश्री	उम्मीदवार की श्रेणी	चयनित श्रेणी	कार्यालय का नाम जहाँ पदस्थ किया जाता है
1.	राज कुमार पटेल पिता स्व. श्री जीवन लाल पटेल	अन्य पिछड़ा वर्ग (अस्थि बाधित)	अनारक्षित (अस्थि बाधित)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा) संभाग, सक्ती

संविदा नियुक्ति की शर्तें –

1. संविदा नियुक्त उम्मीदवार का कार्य/व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर और कंपनी में आवश्यकता के अनुसार नियमित नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। यदि संविदा नियुक्त उम्मीदवार का कार्य/व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी संविदा नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकती है।
2. नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार संविदा भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त नहीं था अथवा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उसने गलत/फर्जी सूचना दी थी या गलत/फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो उसकी संविदा नियुक्ति बगैर पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
3. **सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अर्थात् उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
4. संविदा नियुक्त उम्मीदवार को कंपनी द्वारा घोषित सामान्य अवकाश की पात्रता होगी।
5. संविदा नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा किया जावेगा। पुलिस विभाग की रिपोर्ट में यदि कोई विपरीत टिप्पणी प्राप्त होती है तो बगैर पूर्व सूचना के संविदा नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
6. **संविदा नियुक्त उम्मीदवार कंपनी में नियमानुसार देय चिकित्सा सुविधा कंपनी चिकित्सालय से प्राप्त करने के हकदार होंगे किन्तु उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।**
7. यह संविदा नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, से संबंध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड

पंजीकृत कार्यालय पता – तीसरी मंजिल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर 492013
दूरभाष 0771–2574925(कार्या.) फैक्स 0771–2574990 ईमेल–hr.cspdcl@cseb.gov.in वेबसाईट –www.cspdcl.co.in

संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है, संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी।

8. संविदा नियुक्त उम्मीदवारों को आवश्यक होने पर कार्यालयीन कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार प्राप्त होने वाले यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की पात्रता होगी।

9. संविदा नियुक्त उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा घोषित सामान्य अवकाश की पात्रता होगी। उन्हें नियमानुसार आकस्मिक अवकाश एवं 10 दिनों की चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी परंतु अर्जित अवकाश एवं अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी। महिला उम्मीदवारों को परिपत्र क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/1283/906, दिनांक 08.03.2011 के अनुसार तीन माह के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।

10. संविदा नियुक्त उम्मीदवारों को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के अनुषंगी लाभ, मंहगाई भत्ता, पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ एवं अन्य सुविधाओं यथा मोटर सायकल, कम्प्यूटर, मकान, अनाज, त्यौहार अग्रिम की पात्रता नहीं होंगी।

11. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

12. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत नियंत्रित होगे।

13. संविदा की अवधि दो वर्ष समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन देकर संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है।

14. **आरक्षित कोटे से चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–4/2006/आ०प्र०/1–3, दिनांक 29.06.2013 में निहित शर्तों के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।**

15. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी०पी०एफ० में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में देनी होगी कि उसके द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।

16. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों की समयावधि में अपने पदस्थापना स्थल पर, कार्य पर उपस्थित होना होगा अन्यथा उसका संविदा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(शारदा सिंह)
कार्यपालक निदेशक(मा.सं.)
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या., रायपुर

क्रमांक 02–11/I/(v)/स्था./ 3237 रायपुर, दिनांक 22 MAR 2016
प्रतिलिपि :–

1. कार्यपालक निदेशक (सं./सं.)/(बि.क्षे.) छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी.मर्या.,. रायपुर/बिलासपुर।
2. मुख्य अभियंता (ई.आई.टी.सी.), छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी.मर्या. रायपुर।

3. उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.रा.वि.होल्डिंग कं.मर्या. रायपुर।
4. औद्योगिक संबंध अधिकारी/मुख्य विधि अधिकारी/वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी, छ.रा.विद्युत होल्डिंग कंपनी.मर्या., रायपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत्त, छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी.मर्या, जांजगीर–चांपा।
6. कार्यपालन अभियंता(संचा./संधा.) संभाग, छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी.मर्या., सक्ती।
7. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी.मर्या, जांजगीर–चांपा।
8. श्री राज कुमार पटेल आत्मज स्व. श्री जीवन लाल पटेल, वार्ड क. 20, मकान क. 1460, नया काशीनगर, कोरबा (छ.ग.) पिन – 495677

– को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी.के.कोमजवार)
प्रबन्धक(मा.सं.)–एक
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या., रायपुर

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनीत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ...., आ0/पति ...., उम्र .... वर्ष, व्यवसाय ...., निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के संबंध में .... (प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण-पत्र/सत्यापन प्रमाण-पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जांच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) .... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होउंगा/होउंगी तथा उक्त राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी।

....

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0/पति .... सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लेखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता/करती हूँ।

....

हस्ताक्षर